न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या : 11/2025(जी.सी.एम.एस.2025/166)

प्रार्थी	बनाम अप्रार्थीगण
1. विक्रम सिंह पुत्र दीदार सिंह जाति नाई सिख निवासी 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर।	1. ज्ञान सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 2. जसविन्द्र कौर पत्नी बलजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 3. निरवैर सिंह पुत्र कमलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 4. भगवन्त सिंह पुत्र दलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 5. वीरपाल कौर पुत्री दलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 6. सुखपाल सिंह पुत्र दीदार सिंह जाति जटसिख निवासी चक 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 7. सुखवन्त सिंह पुत्र दलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:–02.05.2025

उपस्थितः 1.श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता प्रार्थी

2.श्री सुधीर शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 6, 7

––निर्णय–– दिनांक : 06.08.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अनवान विक्रम सिंह बनाम ज्ञान सिंह आदि प्रकरण संख्या 01/2023 धारा अर्न्तगत 251ए आरटीए में पारित निर्णय दिनांक 04.09.2024 में राजस्व ग्राम 10 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ 0.01265-0.01265 हैक्टेयर भूमि कुल 0.0253 हैक्टेयर भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए गए थे। इस निर्णय के विरूद्व अप्रार्थीगण के द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में अपील संख्या 169/2024 अनवान ज्ञान सिंह बनाम विक्रम सिंह आदि अन्तर्गत धारा 225 आरटीए पेश की गई। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 04.03.2025 को निरस्त कर प्रकरण इस आदेश के साथ रिमांड किया कि तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 03.06.2024 अनुसार पूर्व में मौजूद रास्ते के विकल्प पर विचार कर पुनः निर्णय पारित करे।

2. माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर से प्रकरण रिमांड होने पर प्रकरण नए नम्बर पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा व अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार शर्मा उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी, अप्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 54 में अपनी सुविधा के लिए रास्ता प्राप्त करना चाहता है। प्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में आम रास्ता चल रहा है। जिसमें से वह अपने खेत में पिछले काफी वर्षो से आवागमन कर रहा है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 6, 7 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय

Scanned with OKEN Scanner

कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई खारिज किया गया।

3. उक्त के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से क्रमांक/राजस्व/2024/505 दिनांक 03.06.2024 से मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक लखियां मय नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक लखियां व पटवारी हलका लखियां द्वारा चक 10 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 22, 42, 54, 55 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया कि मौके पर प्रार्थी के द्वारा आराजी चक 10 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 1 ता 16, 19, 20 तक पहुंचने के लिए मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ 1-1 बिस्वा रास्ते की मांग की गई है। यह रास्ते की मांग व्यावहारिक है व मौका पर चालु है। प्रार्थी द्वारा की गई रास्ता की मांग आत्यातिंक है।

4. हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबधी प्रावधान निम्नानुसार है:-" कृषको के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार- कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जॉच पश्चात वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किए गए प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।"

5. भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी राजस्व ग्राम 10 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 55 के अभिलिखित खातेदार है तथा पडोसी मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 से अपनी जोत तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थी को अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 55 तक पंहुचने के लिए मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 से प्रस्तावित रास्ता व्यावहारिक व मौका पर चालू है। यह प्रार्थी की अत्यातिंक आवश्यकता है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थी की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। चाहा गया रास्ता मात्र सुविधा के लिए नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ 0.013-0.013 हैक्टेयर भूमि कुल 0.065 हैक्टेयर भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 की कुल 0.065 हैक्टेयर भूमि की प्रचलित डी.एल.सी.दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थी से वसूलकर हितबद्ध अप्रार्थी संख्या 1 ज्ञान सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्ध अप्रार्थी उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्ध अप्रार्थी इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{श्योराम आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 06.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष नं0:– 01501226005
ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2025/ 599 **दिनांक :- 06.08.2025**

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः- प्रकरण संख्या 11/2025 अनवान विक्रम सिंह बनाम ज्ञान सिंह अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 06.08.2025 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 06.08.2025 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ 0.013-0.013 हैक्टेयर भूमि कुल 0.065 हैक्टेयर भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 की कुल 0.065 हैक्टेयर भूमि की प्रचलित डी.एल. सी.दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थी से वसूलकर हितबद्व अप्रार्थी संख्या 1 ज्ञान सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्व अप्रार्थी उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्व अप्रार्थी इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्री करणपुर, जिला-श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)